न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—12/2019/223 (2019/00012)

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र बालू,
2. कंवरसिंह पुत्र बालू,
3. श्रीमती कैसी बेवा बालू,
4. श्रीमती गोदावरी पत्नि कालूसिंह,
5. शान्तिलाल पुत्र बीरम,
6. भोला वल्द सवाई,
7. श्रीमती सुखी पुत्री कालूसिंह,
8. श्रीमती गीता पुत्री बीरम,
9. श्रीमती नैनी बेवा बीरम,
10. कुशालसिंह नाबालिग पुत्र गोकलसिंह जरिये उसका कुदरती वली दादा शान्तिलाल,
11. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि गोकलसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी गांव भोजपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस/प्रतिवादीगण

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र सोहनसिंह, जाति रावत, निवासी गांव भोजपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट/वादी

2. गोमा वल्द लूम्बा,
3. श्रीमती मेथी पत्नि तेजा,
4. पन्ना पुत्र तेजा,
5. तिलोक पुत्र तेजा,

समस्त जाति रावत, निवासी खायडा खेड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

6. नैनी पुत्री तेजा पत्नि मनोहरसिंह, जाति रावत, निवासी बोरवा, तहसील भीम ।
7. श्रीमती पानी पुत्री लूम्बा पत्नि किशनसिंह, जाति रावत, निवासी खोडमाल, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. उप पंजीयक अधिकारी, ब्यावर ।
9. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर, ब्यावर, जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 1.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 83/2017.

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 से 10.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 29.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में अपीलांटस एवं शेष तरतीबी रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि मौजा भोजपुरा पटवार हल्का नरबदखेड़ा में खसरा संख्या 42 रकबा 00—11—10, खसरा संख्या 43 रकबा 00—12—00, खसरा संख्या 44 रकबा 00—12—10, खसरा संख्या 45 रकबा 00—10—10, खसरा संख्या 46 रकबा 00—10—00, खसरा संख्या 47 रकबा 00—15—10, खसरा संख्या 63 रकबा 1—4—00, खसरा संख्या 64 रकबा 00—10—00, खसरा संख्या 65 रकबा 00—10—00, खसरा संख्या 66 रकबा 00—10—00, खसरा संख्या 67 रकबा 00—11—10, खसरा संख्या 68 रकबा 00—15—00, खसरा संख्या 69 रकबा 00—09—00, खसरा संख्या 70 रकबा 00—09—10, खसरा संख्या 103 रकबा 00—10—10, खसरा संख्या 104 रकबा 00—10—10, खसरा संख्या 105 रकबा 00—10—10, खसरा संख्या 106 रकबा 00—12—00, खसरा संख्या 115 रकबा 00—10—10, खसरा संख्या 116 रकबा 00—11—10, खसरा संख्या 117 रकबा 00—16—00, खसरा संख्या 118 रकबा 00—16—10, खसरा संख्या 119 रकबा 00—13—10 कुल किता 23 कुल रकबा 14—04—10 स्थित है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिसकी जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 में बतौर खातेदार के रूप में इंद्राज चला आ रहा है जिसमें खातेदार लूम्बा पुत्र पूरा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 17 है । उपरोक्त खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है । उक्त भूमियों का आज दिवस तक किसी भी प्रकार से विधिक बंटवारा नही हुआ है ना ही मौके पर वादग्रस्त आराजी का बंटवारा हो रखा है । लेकिन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कमती ज्यादा को लेकर हमेशा विवाद होते रहते है । वादी का संपूर्ण आराजियात में 8 हिस्सा निहित है जो कि वादी ने खातेदार भैरा पुत्र चतरा से उसका संपूर्ण 1/8 हिस्सा क्रय किया था जिसके आधार पर वादी के हक में बतौर खातेदारी नामांतकरण भी खुल चुका है । वादी अपने 1/8 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाना चाहता है । अतः वाद स्वीकार कर वाद में दर्शाये अनुसार डिक्री पारित की जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2018 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने तथा रेस्पो0 संख्या 1 एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली तलबी व जवाब में चल रही थी तो निर्णय पारित किये जाने से पूर्व सभी पक्षकारान की तलबी करवाई जाना व उनसे जवाब लेना आवश्यक व न्यायसंगत था किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना सभी का जवाब लिये व बिना किसी भी पक्षकार की साक्ष्य लिये व अपीलांट व उनके अधिवक्ता को बिना सुने वाद को कैम्प

में रखकर निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । राजस्व कैम्पों में केवल मात्र लोक अदालत की भावना से वे ही प्रकरण तय किये जा सकते है जो कि आपसी सुलहनामा अथवा पक्षकारान की सहमती से हो, राजस्व कैम्पों में न तो तनकियात कायम की जाती है व न ही साक्ष्य ली जाती है एव ना ही बहस सुनी जाती है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने राजस्व लोक अदालत कैम्प नरबदखेड़ा में बिना तलबी कराये व बिना अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता को सुने व जवाब लिये बिना न्यायिक प्रकिया के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये वाद को निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाकर समुचित तलबी, जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 में वाद पत्रावली बकाया तामील व जवाब में चल रही थी किन्तु सभी पक्षकारों का जवाब लिये व तामीली पूर्ण कराये बिना जल्दबाजी में अपीलांटस व उनके अधिवक्ता को कैम्प में बिना सुने व उन्हें सूचित किये बिना के मात्र राजस्व कैम्पों में निर्णित मुकदमों की संख्या बढ़ाने की नियत से वाद को निर्णित किया है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलांटस को तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी । ऐसी स्थिति में अपीलांटस को प्रस्तुत अपील में अपना पक्ष न्यायालय हाजा के समक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है अन्यथा अपीलांटस न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेगे । कानूनन प्रकरण का निर्णय मियाद जैसे तकनकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर ही किया जाना चाहिये । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 17.4.2018 के अनुसार " प्रतिवादी सख्या 9 के सम्मन पर भाई द्वारा जो संयुक्त परिवार, अप्रार्थी संख्या 3 व 10 पुत्र द्वारा जो संयुक्त परिवार होने की रिपोर्ट, प्रतिवादी संख्या 11 के नोटिस पर लेने से इंकार की रिपोर्ट, प्रतिवादी संख्या 5, 7 व 13 से 17 के सम्मन पर दिए पते पर निवास नहीं करने की रिपोर्ट प्राप्त" होना अंकित कर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.6. 2018 नियत की गई है । किन्तु नियत दिनांक 1.6.2018 से पूर्व पत्रावली दिनांक 30.4.2018 को न्यायालय में रखकर पत्रावली को राजस्व लोक अदालत में दिनांक 1.6.2018 को रखने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 5, 7, 13 से 17 सम्मन पर दिए पते पर निवास नहीं करने से इनकी तामीली शेष थी । किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील के समुचित प्रयास किये

बिना प्रकरण को कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में रखकर वाद में दिनांक 1.6.2018 को प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को समस्त प्रतिवादीगण की तामील होने के उपरांत जवाबदावा प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प नरबदखेड़ा में रखकर वाद को सरसरी तौर पर निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर